ई–मेल / स्पीड पोस्ट से,

मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 688-89
भोपाल, दिनांक 11/09/2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी / 719 / 2017

आवेदकः–
M/s Du Graph,
104/ E , Sector -B,
Sanwer Road, Industrial Area,
Indore – 452 001 (M.P.)

विरूद्ध

अनावेदकगणः–
M/s Shree Biotech (P) Ltd
All Directors
HIG-27, Meghdoot Nagar
Near R.T.O,
Mandsaur - 458001 – (M.P.)

अन्तिम सुनवाई दिनांक 25.08.2020

माध्यस्थम आदेश दिनांक 11-09-.2020

आवेदक ने दिनांक 26.10.2016 को इस काउन्सिल के समक्ष, अनावेदकगणों के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 1,22,071/– एवं दिनांक 15.09.2016 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 4,28,281/– कुल बकाया राशि रू. 5,50,352/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

अनावेदक द्वारा आवेदक को दुरभाष पर मौखिक रूप से सामग्री का निर्माण कर, प्रदाय हेतु आदेशित किया गया। मौखिक आदेशानुसार आवेदक द्वारा अनावेदक को निम्नानुसार इन्वाईसेस के माध्यम से सामग्री का प्रदाय किया गया :–

क्र.	इन्वाईस न0 एवं दिनांक	सामग्री का विवरण	सामग्री की मात्रा	टैक्सेस सहित इन्वाईसेस का कुल मूल्य	डिलीवरी चालान	ट्रान्सपोर्टर्स का नाम	प्रदत्त सामग्री की परिवहन रसीद क्रमांक एवं दिनांक
01	1531, 23.09.09	Rizobium	44580	88,937.00	1531, 23.09.09	Shivani Carriers Pvt Ltd.	2899, 23.09.09
02	1064, 07.06.10	Biogent St.09	46000	55,130.00	1064, 07.06.10	Shivani Carriers Pvt Ltd.	3644, 05.06.10
	TOTAL			1,42,067.00			

आवेदक ने लेख किया कि आवेदक एवं अनावेदक के मध्य परस्पर कोई लिखित समझौता नही हुआ है। मौखिक रूप से सामग्री प्रदाय दिनांक से 30 दिवस में भुगतान किया जाना तय किया गया था। अनावेदक द्वारा प्रदायित सामग्री के बारे में कभी कोई भी आपत्ति दर्ज नही कराई गई।

आवेदक द्वारा अनावेदक को कुल राशि रू. 1,42,067/– की सामग्री का प्रदाय किया गया

.....2

जिसके विरूद्ध अनावेदक से केवल राशि रू. 19,996/– का भुगतान प्राप्त हुआ है तथा राशि रू. 1,22,071/– का भुगतान अनावेदक पर बकाया है।

अतः आवेदक द्वारा मुलधन राशि रू. 1,22,071/– एवं इस राशि पर देयकवार अपाईन्टेड डे दिनांक 08.1.09 एवं 23.07.10 से दिनांक 15.09.2016 तक संगणित ब्याज की राशि रू. 4,28,281/– तथा विलंबित अवधि के ब्याज हेतु अनावेदक के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 1725–1726, दिनांक 16.01.2017 से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को प्रेषित किया गया।

अनावेदक द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र का उत्तर आवेदन पत्र दिनांक 16.02.2017 से प्रस्तुत किया गया, जो निम्नानुसार हैः–

1. M/s DU Graph, Indore द्वारा बकाया राशि रू. 1,21,071/– एवं ब्याज राशि रू. 4,28,281/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो निराधार है, क्यौकि उक्त फर्म को कोई भी देय शेष नही है, बल्कि वर्ष 2010–11 की ऑडिटेड बैलेन्स शीट अनुसार अनावेदक को 31 मार्च 2011 से अग्रिम शेष राशि रू. रू. 37,483/– लेना शेष है।

2. निम्न लिखित देयको का माल अनावेदक को प्राप्त नही हुआ है, जो आवेदक द्वारा अपने लेज़र में दिखाया गया हैः–

बिल नम्बर एवं दिनांक	राशि
1441, 17.08.2009	7122.00
1519, 17.09.2009	38903.00
1527, 19.09.2009	21945.00
1527 (Double Recording of same Bill No.	88937.00
	156907.00

3. इसी प्रकार चेक नम्बर 945629 के द्वारा दिनांक 17.08.2009 को रू. 4,77,225/– का भुगतान किया गया था, किन्तु आवेदन ने लेज़र में दिनांक 19.08.2009 को रू. 4,00,000/– एवं दिनांक 23.08.2009 को रू. 74,580/– जमा दिखाये है, जो उक्त चेक राशि में से रू. 2,645/– कम है। निम्नानुसार आवेदक से राशि लेना शेष है :–

माल जो प्राप्त नही हुआ	रू. 156907.00
चेक की राशि में जमा कम राशि	रू. 2645.00
योगः–	रू. 159552.00
घटाइए, आवेदक द्वारा लेज़र में दिखाई गई शेष राशि	रू. 122071.00
अनावेदक द्वारा जो अग्रिम भुगतान राशि आवेदक से लेना शेष रही	रू. 37,481.00 (Rounded Rs. 37,483)

4. M/s DU Graph, Indore द्वारा दावा आवेदन पत्र में संलग्न पी–10 डिलीवरी चालान किसी अन्य पार्टी (Indore Biotech) को प्रेषित माल का है। यह माल ना, तो M/s DU Graph, ने भेजा है, ना, ही अनावेदक ने प्राप्त किया है।

.....3

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2017 अन्तर्गत निम्नानुसार प्रतिउत्तर (ज्विाईण्डर) प्रस्तुत किया गया :–

1. आवेदक द्वारा मांग की गई संदाय राशि रू. 1,21,071/– एवं ब्याज राशि रू. 4,28,281/– पूर्णतः सत्य एवं आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से सत्यापित होती है। आवेदक द्वारा प्रदायित सामग्री का भुगतान, अनावेदक द्वारा कभी भी समय पर नही किया गया, इस स्थिति में अनावेदक द्वारा आवेदक को अग्रिम भुगतान किये जाने का कथन संदेहास्पद होकर असत्य है। आवेदक को अनावेदक से किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान प्राप्त होकर, देना बकाया है, अस्वीकार है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत खाते का ब्यौरा अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण होर अमान्य है।

2. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर में कथन है कि बिल क्रमांक 1441, दिनांक 17.08.09 राशि रू. 7122/– बिल क्रमांक 1519, दिनांक 17.09.09 राशि रू. 38,903/– बिल क्रमांक 1527, दिनांक 19.09.09 राशि रू. 21,945/– एवं बिल क्रमांक 1531 (अनावेदक द्वारा आवेदन में मानवीय त्रुटिवश बिल क्रमांक 1531 के स्थान पर बिल क्रमांक 1527 दर्शित है) दिनांक 23.03.09 राशि रू. 88,937/– के द्वारा सामग्री प्राप्त नही होना असत्य एवं अमान्य है। उक्त बिलो के विरूद्ध सामग्री प्रदाय के साक्ष्य स्वरूप परिवहन रसीदे प्रस्तुत है।

3. अनावेदक का कथन कि अनावेदक द्वारा चेक क्रमांक 945629 से रू. 4,77,225/– का भुगतान किया गया है, असत्य एवं भ्रामक है। आवेदक को चेक क्रमांक 945629 से रू. 4,00,000/– का भुगतान प्राप्त हुआ है, जिसकी पुष्टि प्रतिउत्तर के सांथ संलग्न आवेदक के बैंक खाते के ब्यौरे से होती है।

4. दावा आवेदन पत्र के पृष्ठ क्रमांक पी–10 के डिलीवरी चालान पर मानवीय त्रुटि से अनावेदक के नाम में त्रुटि हो गई है, किन्तु उक्त चालान के विरूद्ध सामग्री का प्रदाय अनावेदक को किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रस्तुत आवेदन के पृष्ठ क्रमांक पी–12 पर संलग्न परिवहन रसीद से होती है। मानवीय त्रुटि के आधार पर अनावेदक माननीय काउन्सिल को भ्रमित कर, असंवैधानिक लाभ हेतु आशांवित है। आवेदक न्यायेाचित निर्णय की मांग करता है।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 16.02.2017, 27.05.2017, 28.04.2018, एवं दिनांक 25.08.2020 को नियत कर, उभयपक्षों को सुनवाई के सूचना पत्र जारी किये गये।

सुनवाई दिनांक 16.02.2017, 27.05.2017, एवं दिनांक 28.04.2018, को प्रकरण उभयपक्षों के मध्य सुलह करने हेतु नियत कर काउन्सिल द्वारा सुलह कराने का प्रयास किया गया।

अन्तिम सुनवाई दिनांक 25.08.20 को आवेदक की ओर से श्री बजमोहन गुप्ता, वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उपस्थित हुए एवं अनावेदक मेसर्स श्रीधर बॉयोटिक की ओर से एडवोकेट श्री नमन पटवा उपस्थित हुए।

आवेदक ने काउन्सिल के समक्ष अपना पक्ष रखा तथा भुगतान हेतु अनुरोध किया। काउन्सिल ने चाहा कि मेसर्स श्री बॉयोटिक प्रा0लि0, धार को वर्ष 2009 के बाद सामान दिया या नही? जिसका समाधान कारक उत्तर आवेदक नही दे सके।

अनावेदक ने कहा कि वर्ष 2010 के बाद कोई ट्रान्जेक्शन नही हुआ है, प्रदाय सामग्री की कोई पावती प्रस्तुत नही की है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत इन्वाईस में अकित टिन न0 एवं चालान में प्रस्तुत टिन न0 पृथक–पृथक है, इसलिये दावा आवेदन झूठा है।

प्रकरण गुण–दोष के आधार पर अंतिम आदेश हेतु नियत किया गया।

.....4

आवेदक द्वारा अनावेदक को कुल राशि रू. 1,42,067/— की सामग्री का प्रदाय किया गया जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा केवल राशि रू. 19,996/— का भुगतान किया गया है तथा राशि रू. 1,22,071/— का भुगतान अनावेदक पर बकाया है। आवेदक द्वारा बकाया राशि रू. 1,22,071/— एवं इस राशि पर दिनांक 15.09.2016 तक संगणित ब्याज की राशि रू. 4,28,281/— तथा विलंबित अवधि के ब्याज हेतु अनावेदक के विरूद्ध दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अनावेदक ने प्रस्तुत उत्तर में लेख किया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत लेज़र खाते में दर्शाये गये बिल क्रमांक 1441, 17.08.2009 राशि रू. 7,122/— , बिल क्रमांक 1519, 17.09.2009 राशि रू. 38,903/— बिल क्रमांक 1527, 19.09.2009 राशि रू. 21,945/— एवं 1527 (Double Recording of same Bill No.) राशि रू. 88,937/— कुल राशि रू. 1,56,907/— की सामग्री आवेदक से प्राप्त नही हुई है। चेक नम्बर 945629 के द्वारा दिनांक 17.08.2009 को रू. 4,77,225/— का भुगतान किया गया था, किन्तु आवेदन ने लेज़र में दिनांक 19.08.2009 को रू. 4,00,000/— एवं दिनांक 23.08.2009 को रू. 74,580/— जमा दिखाये है, जो उक्त चेक राशि में से रू. 2,645/— कम है। अतः राशि रू 1,56,907/— एवं रू. 2,645/— कुल राशि रू. 1,59,552/— में से आवेदक द्वारा दावा की गई राशि रू. 1,22,071 के समायोजन उपरांत राशि रू. 37481/— आवेदक से लेना बकाया है।

अनावेदक के उक्त तथ्यों के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर में उक्त देयको से प्रदायित सामग्री का अनावेदक को प्राप्त नही होना असत्य एवं अमान्य निरूपित करते हुए, उक्त बिलो के विरूद्ध सामग्री प्रदाय के साक्ष्य स्वरूप परिवहन रसीदे प्रस्तुत की गई है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत डिलीवरी चालान एवं परिवहन रसीदों पर अनावेदक द्वारा सामग्री प्राप्त किये जाने के कोई प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर, अनावेदक इकाई की सील अंकित नही होने से, अनावेदक को सामग्री प्राप्त होना प्रमाणित नही होता है, अपितु आवेदक द्वारा इन देयको की राशि का दावा प्रस्तुत नही किया गया है। अतः यह विचारणीय नही है।

आवेदक द्वारा देयक क्रमांक 1531, दिनांक 23.09.09 की राशि रू. 88,937/— एवं देयक क्रमांक 1064, दिनांक 07.06.10 की राशि रू. 55,130/— कुल राशि रू. 1,42,067/— में से अनावेदक द्वारा भुगतान की गई राशि रू. 19,996/— के पश्चात बकाया राशि रू. 1,22,071/— के भुगतान का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त दावा राशि के संबंध में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई दिनांक 25.08.2020 को प्रस्तुतीकरण किया कि प्रदाय सामग्री की कोई पाती आवेदक द्वारा प्रस्तुत नही की गई है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत इन्वाईस में अंकित टिन न0 एवं चालान में प्रस्तुत टिन न0 पृथक—पृथक है, इसलिए दावा आवेदन झूठा है।

काउन्सिल द्वारा दावा आवेदन पत्र अन्तर्गत प्रस्तुत इन्वाईस एवं डिलीवरी चालान का अवलोकन करने पर पाया कि आवेदक इकाई के इन्वाईसेस पर TIN No. 23051104283 अंकित है तथा आवेदक इकाई के ही डिलीवरी चालान पर TIN No. 23621003332 अंकित है। एक ही इकाई के दो पृथक—पृथक टिन नम्बर नही हो सकते है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत डिलीवरी चालान एवं परिवहन रसीदों पर अनावेदक द्वारा सामग्री प्राप्त किये जाने की पावती के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर, नाम, अनावेदक इकाई की सील भी अंकित नही हाने से, अनावेदक को सामग्री का प्रदाय किया जाना प्रमाणित नही होता है।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 6 अन्तर्गत अनावेदक पर लंबित भुगतान की

.....5

अदायगी हेतु लिखे गये पत्र दिनांक 27.09.14, 15.04.15 एवं 11.08.16 को रजिस्टर्ड डाक से भेजने का लेख किया एवं एडी स्लिप की प्रतियॉं प्रस्तुत की गई है, किन्तु अनावेदक को भेजे गए पत्रों की प्रतियॉं दावा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत नही किये गये है, जिससे लंबित भुगतान अदायगी हेतु आवेदक द्वारा अनावेदक को लिखित पत्राचार किये जाने की पुष्टि भी नही होती है।

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो से अनावेदक पर राशि रू. 1,22,071/– बकाया होने का, आवेदक का दावा स्थापित नही होता है। अतः आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2016 खारिज करने का निर्णय लिया गया।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्तानुसार आवेदक का दावा स्थापित नही होने से, आवेदक M/s Du Graph, 104/ E, Sector -B, Sanwer Road, Industrial Area, Indore (M.P.) द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2016 एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(अनन्या विश्वास)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक निदेशक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।